न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/94/2021

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री गिर्राज प्रसाद सोलंगी पुत्र हरी प्रसाद चौपडा बाजारा लक्ष्मगन्गढ, तहसील लक्ष्मनगढ जिला अलवर।	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

--:: निर्णय ::--

दिनांकः– 28.06.2021

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 09.04.2021 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अलवर से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 28.06.2021 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित आया। अपीलार्थी ने प्रा0पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को चाही गई सूचना जानबूझ कर नहीं दी गयी। लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अलवर के प्रतिनिधि उपस्थित होकर जरिये पत्र क्रमांक 3196–97 दिनांक 19.04.2021 से अवगत कराया कि प्रा0पत्र दिनांक 09.04.21 के संबंध में चाही गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 6 (3) के तहत लोक सूचना अधिकारी, विकास अधिकारी पंचायत समिति लक्ष्मनगढ को हस्तांरित की गई–विकास अधिकारी द्वारा रजि0 डाक द्वारा पत्रांक 584–586 से सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी के जबाव से जाहिर है कि प्रार्थी को नियत समय अवधि में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त करने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।
5. निर्णय आज दिनांक 28.06.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
6. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर, अलवर

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)